भिंड भास्कर

ग्वालियर | बुधवार, 20 मार्च, 2019 गोहद • गोरमी • फूप लहार • मेहगांव • आलमपुर dainikbhaskar.com

पांच लोगों की हत्या करने वाले दरिंदे को फांसी • ढाई साल पहले शहर के वीरेंद्र नगर में चार छोटे-छोटे बच्चों और महिला की हुई थी हत्या

महिला से संबंध होने पर जो पांच लोगों की हत्या कर सकता है, वह इच्छा पूर्ति के लिए किसी को भी मार सकता है, उसे जीवित छोड़ना समाज को असुरक्षित करना है... कोर्ट

• आरोपी के वकील ने दी दलील- 28 वर्षीय अंकुर दीक्षित अपनी मां का इकलौता पुत्र है

भास्कर संवाददाता | भिंड

शहर के वीरेंद्र नगर इलाके में चार छोटे-छोटे बच्चों और एक महिला की हत्या के मामले में अंकुर उर्फ नीतेश दीक्षित पुत्र राजेश दीक्षित को द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश एमएल राठौर ने दोषी मान लिया। मंगलवार की दोपहर 3.40 बजे अंकुर को कोर्ट रूम में लाया गया। डीपीओ प्रवीण दीक्षित ने न्यायाधीश के सामने सुप्रीम कोर्ट की चार रूलिंग पेश करते हुए कहा कि चार अबोध बच्चों और एक असहाय महिला की जघन्य तरीके से हत्या की गई है। इसलिए इस प्रकरण को विरल से विरलतम की श्रेणी में रखते हुए दोषी को मृत्युदंड की सजा दी जाए। इस पर अंकुर के वकील ने बचाव करते हुए कहा कि यह प्रकरण विरल से विरलतम की श्रेणी में नहीं आता है। सिर्फ हत्या का मामला है। इसलिए दंड में नरमी बरती जाए। लेकिन कोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए आरोपी को फांसी की सजा सुनाई। कोर्ट ने टिप्पणी की है कि महिला से संबंध होने पर जो पांच लोगों की हत्या कर सकता

• उसके ऊपर कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं इसलिए उसे आजीवन कारावास दिया जाए

है, वह अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए किसी को भी मार सकता है, इसलिए उसे जीवित छोड़ना समाज को असुरक्षित करना है...

डीपीओ दीक्षित ने कहा कि चार छोटे छोटे बच्चों के हाथ पैर बांधकर उनके मुंह में कपड़ा ठूंस कर उनका गला रेता गया है। एक असहाय महिला की निर्ममता से हत्या की गई है। अंकुर के बचाव में वकील ने कहा कि वह अपनी मां का इकलौता पुत्र है। उसके ऊपर पूर्व से कोई आपराधिक रिकॉर्ड भी नहीं है। इसलिए सहानुभूति से विचार किया जाए। डीपीओ दीक्षित ने सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग देते हुए कहा कि अपराधी की उम्र, उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि आदि के आधार पर उसे मृत्युदंड से नहीं रोक सकते। इसके बाद आरोपी के वकील ने हाईकोर्ट की रूलिंग का हवाला देते हुए न्यायालय से गुहार लगाई कि इस प्रकरण में हैंडनोट न पढ़ा जाए। करीब पांच मिनट चली बहस के बाद न्यायालय में 10 मिनट का विराम हुआ। इसके बाद न्यायालय ने अंकुर दीक्षित को मृत्युदंड का आदेश सुनाया।

कोर्ट रूम से लाइव ... आरोपी ने सजा सुनते ही छिपाया चेहरा

कोर्ट में सजा सुनाए जाने के बाद जेल जाता अंकुर दीक्षित लाल घेरे में।

कोर्ट की टिप्पणी: आरोपी का यह आपराधिक कृत्य विरलतम की श्रेणी में आता है

जो व्यक्ति केवल एक महिला के साथ संबंध होने के कारण चार छोटे-छोटे बच्चों एवं रीना की निर्ममतापूर्वक हत्या कर सकता है, वह व्यक्ति भविष्य में अपनी इच्छा की पूर्ति न होने पर किसी भी व्यक्ति को मार सकता है। उसमें सुधार होने की कोई संभावना नहीं है। ऐसे व्यक्ति को समाज में जीवित छोड़ना अन्य व्यक्तियों की जान एवं समाज को असुरक्षित करना है। उक्त पांच व्यक्तियों की जघन्य रूप से हत्या की गई, जिससे पूरा शहर एवं आसपास के लोग दंग रह गए। यदि आरोपी को कारावास से दंडित किया गया तो निश्चित ही समाज एवं पीड़ितों पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा और इस प्रकार के घिनौने कृत्य किए जाने के लिए अपराधी प्रोत्साहित होंगे। अतः इस अपराध की पृष्ठभूमि में आजीवन कारावास का दंडादेश अपर्याप्त प्रतीत होता है और उससे न्याय की मंशा पूर्ण नहीं होती, क्योंकि आरोपी का यह आपराधिक कृत्य विरलतम की श्रेणी में आता है।

इन दो अफसरों की रही विशेष भूमिका

1 तत्कालीन भिंड एसपी नवनीत भसीन: इस अंधे हत्याकांड के खुलासे के लिए वैज्ञानिक ढंग से जांच कराई। एफएसएल अधिकारी डॉ अजय खेमरी ने भौतिक साक्ष्यों का बारीकी से परीक्षण किया। तत्कालीन एसपी भसीन ने स्वयं व्यक्तिगत रुचि लेकर विवेचक (तत्कालीन शहर कोतवाली टीआई) आमिफ मिर्जा बेग के माध्यम से गहन जांच कराई।

2 डीपीओ प्रवीण दीक्षित: न्यायालय में राज्य की ओर से अभियोजन का संचालन किया। अंकुर को दोषी साबित करने के लिए साक्ष्यों को क्रमबद्ध तरीके से न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। अंतिम बहस के दौरान उच्चतम न्यायालय के सिद्धांतों को सशक्त तर्क के साथ प्रस्तुत किया।

बच्चों को नींद की गोली देकर सुला देती थी, एक बच्चे ने देख लिया तो एक के बाद एक पांचों को मार डाला

14 मई 2016 को शहर के वीरेंद्र नगर में रामबाबू शुक्ला के घर के कमरे में पलंग पर बहू रीना, जमीन पर नातिन छवि, महिला व रीना की भतीजी अंबिका की लाश पड़ी थी। इनके नाक से झाग आ रहा था। गले कटे हुए थे। दूसरे में उनके साले राजकुमार के बेटे गोलू की लाश पड़ी थी। उसके भी हाथ पैर बंधे थे। इस सनसनीखेज हत्याकांड के बाद पुलिस ने जांच शुरू की तो किचिन के सिंक में ग्लास में नशीला पदार्थ होने का संदेह हुआ। एफएसएल अधिकारी ने भी घटनास्थल से फिंगर प्रिंट उठाए। मृतिका के मोबाइल की कॉल डिटेल निकलवाई। सामने आया कि उसकी बात जिस नंबर पर सबसे ज्यादा हुई वह अंकुर उपयोग कर रहा था। इसके बाद अंकुर से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि वह मृतिका रीना शुक्ला के मकान में किराए से रहने वाली रोली भदौरिया के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने जाता था। इसी दौरान मृतिका से उसके संबंध बन गए थे। 13-14 मई की रात भी वह मृतिका के घर गया था। अंकुर ने नर्सिंग कोर्स किया है, इसलिए उसने रीना को पहले नींद की गोलियां दी जो उसके आने से पहले रीना बच्चों को खिलाकर सुला देती थी। घटना वाली रात को भी रीना ने अंकुर को मिस कॉल देकर बुलाया था। जब वह रीना के घर पहुंच गया और संबंध बना रहा था तभी गोलू ने दोनों को देख लिया। इसके बाद अंकुर ने गोलू की हत्या कर दी, तभी चिल्लाचोंट सुनकर लड़कियां जागने लगीं तो एक के बाद एक उनकी भी हत्या कर दी गई। बाद में अंकुर ने रीना को गला रेत कर मार डाला।

हत्यारा अंकुर दीक्षित

इन सात परिस्थितियों ने बनाया अंकुर को आरोपी, कोर्ट ने विरलतम श्रेणी का आपराधिक कृत्य माना

1- आरोपी का मृतिका एवं मृतकों से पूर्व परिचित होना।
2- आरोपी के मोबाइल नंबर से मृतिका के फोन पर अधिक संपर्क होना।
3- घटना स्थल पर मिले गिलास पर आरोपी की अंगुलियों के निशान मिलना।
4- मृतिका रीना की वैजाइनल स्लाइड और अंकुर की अंडरवियर आरोपी डीएनए प्रोफाइल का प्राप्त होना।
5- आरोपी का नर्सिंग प्रशिक्षित होना और बच्चों को नींद की गोली खिलाने के लिए मृतिका को देना।
6- आरोपी के बताए अनुसार घटना में प्रयुक्त चाकू का बरामद होना।
7- आरोपी का आचरण और उसके पिता के द्वारा पुलिस को इस संबंध में कथन देना।

तीन महीने तक किसी वकील ने नहीं लिया था केस

इस घटना से पूरे शहर ही नहीं बल्कि प्रदेश में सनसनी फैल गई थी। इस घटना से समाज में इतना व्यापक आक्रोश था कि जिला न्यायालय के अधिवक्ताओं ने आरोपी अंकुर दीक्षित की पैरवी करने से इंकार कर दिया। करीब ढाई से तीन महीने तक आरोपी के बचाव में कोई वकील नहीं आया। ऐसे में न्यायालय ने आरोपी अंकुर के लिए विधिक सहायता कार्यालय से अधिवक्ता की नियुक्ति की।